

<p>तारीख हुक्म</p>	<p>हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल जज          प्रेमराम सुथार बनाम लो.सू.अ. ( तहसीलदार जोधपुर )</p> <p>सू.अ.अ. अपील संख्या 06 / 2020</p>	<p>नं0 व तारीख          अहकाम जो इस          हुक्म की तामील          में जारी हुए</p>
<p>27.01.20</p>	<p>पत्रावली पेश हुई। अपीलार्थी प्रेमराम सुथार पता 121, मेन रोड़ आंगणवा, पोस्ट सुरपुरा, मण्डोर जिला जोधपुर ने सूचना का अधिकार के तहत प्रार्थना-पत्र दिनांक 20.11.2019 में उसके द्वारा (1) सन् 2015 में भू अवाप्ति के संबंध में ग्राम मण्डोर में नेशनल हाईवे नं. 65 व 62 का भूमि अवाप्ति के लिए एसडीएम व तहसीलदार के मार्ग दर्शन में पटवारी व सर्वेटीम द्वारा जो नक्शा व सर्वे रिपोर्ट बनाई गई है की नकल की प्रमाणित प्रति व अन्य बिन्दुओं, से संबंधित सूचना के लिए लोक सूचना अधिकारी ( तहसीलदार जोधपुर ) को प्रेषित किया गया तथा उक्त लोक सूचना अधिकारी द्वारा सूचना नहीं दी गई, जिससे व्यथित होकर यह अपील पेश हुई।</p> <p>अपील दर्ज रजिस्टर कर रेस्पो.पक्ष ( तहसीलदार जोधपुर ) से तथ्यात्मक रिपोर्ट मांगी गई। अपीलार्थीपक्ष अनुपस्थित।</p> <p>हमने पत्रावली का अवलोकन किया। रेस्पो.(तहसीलदार जोधपुर) से आदिनांक तक रिपोर्ट प्राप्त नहीं हुई है अतः अपील स्वीकार की जाती है तथा लोक सूचना अधिकारी ( तहसीलदार जोधपुर ) को निर्देशित किया जाता है कि अपीलार्थी द्वारा चाही गई सूचना के बारे में प्रार्थी को 15 दिवस में उपलब्ध करावे, अन्यथा सूचना नहीं दिये जाने के कारणों से प्रार्थी को अवगत कराया जाय। आदेश की प्रति संबंधित को सूचनार्थ एवं पालनार्थ प्रेषित हो। आदेश सुनाया गया।</p>	